

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीवत्सली वनाम श्री (वैराग)

सं. मुकदमा प्र. पत्रा 111-124 नं० 156 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्लत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील मे जारी हुए
------------------------------------	--

7 वाद / प्राधानपत्र वाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के समन नोटिस जारी किये जाये । पत्रावली दिनांक 10.12.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक/कलक्टर माण्डल

112/1022
उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
दिनांक: पत्रावली दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
विपक्षीगण के समन नोटिस जारी किये जाये।
श्री
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

452
उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
दिनांक: पत्रावली दिनांक 09.12.21 को पेश हो।
श्री
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

292
पत्रावली पेश हुई वकील प्राणीगण उपस्थित, तस्वीरफर माण्डल से मांका डिपॉजिट मांग कर ली जा रही है। प्राणीगण को लिखी मर्चा आगच्छे खिलायी गयी, आगच्छे खिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं, उनके लिखत एवं तस्वीरफर मांगवली लिखे जाने का अडिग डिपॉजिट हो वकील प्राणीगण का मार्गदर्शक फर स्वीकार किया जाकर निर्णय हुक्म से लिखु जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के तल सुभार हुक्म नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा लक्खना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 156/21 माण्डल

1- श्री शोकतअली ७। श्री अहमद भीलगर निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (संगर)

-मार्थ

बनाम

1- श्रीमती मैदा ५० श्री प्रियदर्शी चायेडिया (शुहाब) निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (संगर)
(सुखदहित प्रा-पुन संलग्न)

-दिपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

धर्म की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके ते /संयुक्त खाते की आराजी न.....2578.....कुल कित्ता.....01.....रकबा.....0.1770.....हेक्टर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिजा के सीमा 3 नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसने प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जावें।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.11.21 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत को होने से पत्थरगटी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए गैक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न.....2578.....कुल कित्ता.....01.....रकबा.....0.1770.....हेक्टर.....स्थित भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का श दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल को.....500/- रु/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण नौके पर जमा वें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये तें हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगटी नहीं की ।।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियन्त्रित पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाड़ा

श्री अदालत

(दिनांक 28)

अदालत सहायक अधिकारी, माण्डल

पत्रावली बनाम वी.सी. नेत्रावली

क्रमांक 11-126 दि. 156 त. 2024

<p>हस्ताक्षर</p>	<p>संख्या व तारीख प्रसंग जो इन दस्तावेजों की तारीख में जारी हुए</p>
------------------	---

हस्ताक्षर अधिकारी का इतिहास


1. पत्र / प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत हुआ उसे संश्लेषित किया जाकर विस्तारपूर्वक से प्रमाण पत्रित करी किये जाते। पत्रावली दिनांक 10.12.21 को जारी है।


उपस्थित अधिकारी एवं
सहायक अधिकारी माण्डल

2. उक्त पत्र परिचित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से प्राप्त है। अवकाश पर है / परिसर है।
प्रति पत्रावली दिनांक 4.1.22 को जारी है।
पत्रावली दिनांक 10.12.21 को जारी है।
उपस्थित अधिकारी माण्डल

3. उक्त पत्र परिचित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से प्राप्त है। अवकाश पर है / परिसर है।
प्रति पत्रावली दिनांक 09.3.22 को जारी है।
उपस्थित अधिकारी माण्डल

24. पत्रावली पेश हुई, वकील प्राचीनगण उपस्थित, तदसीवसत माण्डल से मांका निर्णय प्राप्त हुई जिसे शांतिन पत्रावली किया गया। अप्राचीनगण को खिलकी मर्तवा आयुष्मते किया गया, आवांछे डिलाभी जाने के परवान भी उपस्थित गरी, इनके निकट एक वर्ष का कार्यवाही किये जाने का इच्छित किया जाता है। वकील प्राचीनगण का पत्रावली का स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथम से विस्तार जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के तल सुधार होकर लम्बर से कम हो।


उपस्थित अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर ए एस.

मुकदमा संख्या - 156/21 मा नपज

1- श्री शोकरावली 51, श्री अहमद भीलगर निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (संग्रह)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती जैता 40 श्री प्रियदर्शी पायोटिया (आखान) निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (संग्रह)
(मुल्काकिन मा फा सलंग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.....2578.....कुल किता.....01.....रकबा.....00.1770
हैक्टैयर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी गुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.11.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल
पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 2578
.....कुल किता.....01.....रकबा.....00.1770
.....हैक्टैयर
.....भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल को.....500/-
रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिनिधि

प्रतिनिधि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाडा